न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 52/2021

1–हणमान पुत्र मोहनराम
2–अन्नाराम पुत्र मोहनराम
3–अमरी पत्नी मोहनराम समस्त जाति जाट निवासीगण बाकलिया तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–पटवारी हल्का बाकलिया, तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।
2–नायब तहसीलदार निम्बी जोधा, तहसील लाडनूं जिला नागौर, राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री विकास ठोलिया, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश प्रकरण संख्या 15/2021 बअनुवान राजस्थान सरकार जिरिये पटवारी हल्का बाकलिया बनाम हणमान वगैरह निर्णय दिनांक 05.08.2021 द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, निम्बी जोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक :03.02.2022

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 15/2021 बअनुवान पटवारी हल्का बाकलिया बनाम हणमान वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाकलिया ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार निम्बी जोधा को रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम बाकलिया के खसरा नम्बर 406 रकबा 2.4524 हैक्टेयर किस्म गैम0मु0 रास्ता में से 0.1040 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ लगाकर से अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण को राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण द्वारा मौजा बाकलिया के खसरा नम्बर 406 रकबा 0.1040 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाये गए। अतः अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा बाकलिया के खसरा नम्बर 406 रकबा 0.1040 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया तथा वार्षिक लगान दर का 50 गुणा से जुर्माना रूपये 19/– अक्षरे उन्नीस रूपये कायम किया गया। पटवारी हल्का को अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने व शारित वसुली हेतु आदेश दिये गए।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्टगण/अप्रार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 31.08.21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 31.08.21 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 27.12.2021 को प्राप्त हुई।

{3} – अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(1) –यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.08.2021 को पारित करने में न्यायालय ने भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 05.08.2021 को पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थीगण को उसका प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.08.2021 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य अपीलाधीन आदेश के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किया गया वह नोटिस अपीलार्थीगण को तामील होते ही अपीलार्थीगण के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28.07.2021 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वकालतनामा पेश किया जाकर जवाब हेतु अवसर चाहा तथा नकल आवेदन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय से अपीलार्थीगण को नकल प्राप्त नहीं हुई तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय केवल मात्र 7 दिवस के भीतर आगामी तारीख पेशी नियत कर अपीलार्थीगण को सुनवाई का बिना समुचित अवसर प्रदान किये ही उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है इस कारण जो आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 12.07.2021 का भी सही ढंग से अध्ययन नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है क्योंकी हल्का पटवारी की रिपोर्ट के साथ पेश नजरी नक्शा में रास्ता खसरा नम्बर 407 से निकलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है तथा नजरी नक्शा में किस हिस्से को अपीलार्थीगण के द्वारा अतिक्रमण किया गया उसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को न्याय निर्णय से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्त भूमि के संबंध में मौका कमीश्नर नियुक्त कर भौतिक स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

मंगवायी जानी आवश्यक एवं न्याय संगत थी लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय में बिना दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण किये ही उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो अधीन अपील अपास्त किया जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.07.2021 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलोच्य आदेश प्रदान किया है इस कारण आलोच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारिज फरमाये जाने योग्य है क्योंकी मौके पर आज भी आवागमन के लिए रास्ता खुला है।

{3}(6) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन फानन में एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश की आड़ में बिना प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का पक्ष सुने ही किसी प्रकार की बेदखली संबंधि कार्यवाही कर भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को उसका खमियाजा बिना किसी वजह के प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को भुगतना पड़ेगा तथा अपीलार्थीगण की खड़ी फसल नष्ट हो जायेगी जिसकी पूर्ति नगदी में कतई सम्भव नहीं होगी तथा अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को न्याय प्राप्ति हेतु बिना समुचित अवसर प्रदान किये ही उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो कि कतई विधि संगत नहीं है। न्याय की मंशा है कि न्याय किया जाना ही न्याय नहीं है बल्कि न्याय दिखना भी चाहिये जो कि विधि की मंशा के अनुरूप हो। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश गलत रूप से पारित किया है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

{3}(7) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार की सीमांज्ञान रिपोर्ट राजस्व रेकर्ड में दर्ज गट्ठा अनुसार प्रस्ततु नहीं की है एवं किन किन व्यक्तियों/मौतबीरान के समक्ष उक्त अतिक्रमित बताई जाने वाली भूमि का सीमाज्ञान किया गया उक्त उपस्थित मौतबीरान के हस्ताक्षर भी सीमाज्ञान रिपोर्ट में नहीं है मात्र प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण से रंजिश रखने वाले लोगों द्वारा मनगढत एवं झुठे तथ्यों पर की गयी शिकायत पर हल्का पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पेश की है। जो रिपोर्ट अपने आप में अपूर्ण होने से उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलीय आधार पूर्ण रूप से अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निम्बी जोधा द्वारा प्रकरण संख्या 15/2021 राजस्थान सरकार बनाम हणमान वगैरह में पारित निर्णय आदेश दिनांक 05.08.2021 को अस्वीकृत किया जाकर खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावे तथा विकल्प में माननीय न्यायालय से यह भी प्रार्थना की जाती है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली सुनाई हेतु इस आदेश के साथ पुनः वापस भेजी जावे कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को बचाव का व साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

{4}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि जिस भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गयी है उक्त मुतनाजा भूमि पर अपीलान्ट/अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी रिपोर्ट के साथ पेश नजरी नक्शा में रास्ता खसरा नम्बर 407 से निकलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है तथा नजरी नक्शा में किस हिस्से को अपीलार्थीगण के द्वारा अतिक्रमण किया गया उसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को न्याय निर्णय से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्त भूमि के संबंध में मौका कमीश्नर नियुक्त कर भौतिक स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट मंगवायी जानी आवश्यक एवं न्याय संगत थी लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय में बिना दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण किये उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। अपीलान्ट का रास्ते की भूमि मानकर जो पटवारी रिपोर्ट पेश की है उससे पूर्व अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का नाप चौंक करवाया जाना आवश्यक था उसके पश्चात ही अगर अतिक्रमण पाया जाता तो उसे अतिक्रमी माना जाता। पटवारी हल्का के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं लिए है। अतः बिना नाप चौक के ही अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय किया वो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{5}– प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में ही अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्टगण ने यह अपील दिनांक 31.08.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.08.2021 को किया गया तथा अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 31.08.2021 को पेश की गयी। अतः अपील समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत होने से अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी बाकलिया की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक निम्बी जोंधा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम बाकलिया के खसरा नम्बर 406 रकबा 0.1040 हैक्टेयर किस्म गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण/अपीलान्टगण को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उप0 हुए तथा अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण ने जवाब पेश करने हेतु समय दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को नोटिस अलग अलग नहीं देकर सामलाती एक ही नोटिस जारी किया गया जिसमें अपीलान्ट अन्नाराम के एक ही तामिल के हस्ताक्षर है। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम ठोलिया उपस्थित हुए जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्णरूप से अवसर दिया गया है। तथा अपीलनान्ट उक्त प्रश्नगत राजकीय भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। मुतनाजा भूमि गै0मु0 रास्ते की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति का हक अधिकार नही हो सकता। रास्ते की भूमि पर ग्रामिण अपन मवेशीयो को घर से खेत और खेत से घर लाने ले जाने के उपयोग में लाते है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही हैं। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार है। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बेदखल किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

:::: आदेश ::::

उपरोक्त तथ्यो के आलोक में अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.08.2021 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 03.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)